

DELHI POLTCE 2025 CONSTABLE (HCM) (AWO/TPO) DRIVER

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत

(DPSP)



Polity + मूल अधिकार | Fundamental Rights -

शादी की स्वतनाता Sarticle 21- प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षणें र न्विकित्सीय सहायता विदेश जाने की स्वतनाती Protection of life and personal liberty Article 21 (a) – Right to education शिक्षा का अधिकार प्रविद्यान संशोधन अधि २००२ (8६°CA२००२) के दारा औडा गया नियुलक रुवं अनिवायं शिह्य Article 22 – गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण Protection again arrest and detention in certain cases 2 24 hrs - प्रिनिस्टेट के समाने पेश / 3 - वर्जील 1 Advocate

Article 23-24 शोषण के विरूद्ध अधिकार

Right Against exploitation

Art. 23- मान व दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेद 🔫

Prohibition of human trafficking and forced labour

Art. 24- बालकों के नियोजन का प्रतिषेद

Prohibition of employment of children

. रीते बच्चे जी । 4 साल से कम हं उन्हें ओखिम बाले कार्यी में नहीं लगामा जोयगा।

अवरजस्त



संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (29-30)

(Cultural and Educational Rights)

Art. 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
(Protection of Interests of minorities) हिए संस्कृति क्यांपर क्

(Establishment of Educational Institution)

Art. 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार

31

(Right to Constitutional Remedies)

B.R अम्बेडकर साहब ने - संविधान की आत्माव हद्य sow and Hourt of Gorstitution

Bar आधार - भाषा स्व या

S.C अतु- उथ के तहत - 5 with

(1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

इसका शाब्दिक अर्थ है- व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाय

Its literal meaning is - to be presented to the person

2) परमादेश (Mandamus) → (स्कारी लोगी की) इसका शाब्दिक अर्थ है- हम आदेश देते हैं। It literally means - We give orders.

(3) प्रतिषेध (Prohibition) इसका अर्थ है-<u>मना करना। It means to refuse</u> (4) उत्प्रेषण (Certiorari)

इसका शाब्दिक अर्थ है— पूर्णतया सूचित करना या मँगवा लेना। Its literal meaning is to inform completely or to get it called.

(5) अधिकार पृच्छा (Q<u>uo warranto</u>)

इसका शाब्दिक अर्थ है—आपका प्राधिकार क्या है?

It literally means—what is your authority?

विदेशी एवं भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार

- 💠 अनुच्छेद- 14 🎤
- अनुच्छेद- 21
- 💠 अनुच्छेद- 22
- अनुच्छेद-24
- अनुच्छेद- 26
- ❖ अनुच्छेद- 28

अनुच्छेद- 20

अनुच्छेद- 21 A

अनुच्छेद- 23

अनुच्छेद - 25

अनुच्छेद- 27

केवल भारतीयों प्राप्त मौलिक अधिकार

- 💠 अनुच्छेद- 15 🦯
- अनुच्छेद- 16
- अनुच्छेद- 19 /
- 💠 अनुच्छेद- 29 🏒
- 💠 अनुच्छेद- 30



राज्य के नीति निदेशक तत्व / Directive Principles of State Policy

- भाग─4 / Part-4
- ❖ प्रेरित आरयलैण्ड के संविधान से। Inspired by - the Constitution of Ireland.
- ❖ उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। Purpose - To establish a welfare state.
 - नोटः— DPSP न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।

Note:- DPSP cannot be enforced by the court. They do not have legal power.

के.टी. शाह — राज्य के नीति निदेशक सिद्वान्त ऐसा चैक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है।

K.T. Shah – Directive Principle of state Policy is a cheque that pays at the bank's convenience.

जी. ऑस्टिन – DPSP को संविधान की आत्मा कहा।

G. Austin - called the DPSP the soul of the Constitution.

डॉ. भीमराव अम्बेडकर — DPSP को भारतीय संविधान की अनोखी

विशेषता कहा।

Dr. Bhimrao Ambedkar - DPSP called a unique feature of the Indian Constitution.

के.सी. व्हीलर — लक्ष और आंकाक्षों का घोषणा पत्र।

K.C. Wheeler - A manifesto of goals and aspirations.

एल. एम. सिंघवी — संविधन के जीवनदायी प्रावधान

L.M. Singhvi - Life-giving provisions of the Constitution

टी.टी. कृष्णामचारी — भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान

T.T. Krishnamachari - A Real dustbin of emotions

नोट :— कानून बनाते समय DPSP को ध्यान में रखना चाहिए।

अनुच्छेद—36 राज्य की परिभाषा। / Definition of State.
अनुच्छेद —37 DPSP किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये वाद योग्य नहीं है।
Article-37 - DPSP be enforced by any court. This is not debatable.

अनुच्छेद —38 राज्य का कर्त्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के सुनिश्चित करें। Article-38 It is the duty of the state to ensure social, economic and political justice to the people.

अनुच्छेद —39 राज्य समान कार्य के समान वेतन देगा। Article-39 - The state shall give equal pay for equal work.

अनुच्छेद —39 (क) सभी को समान रूप न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था Article-39 (a) - Equal justice to all and provision of free legal aid to economically weak persons

अनुच्छेद—39 (घ) स्त्री एवं पुरूषों को समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान।

Article-39 (d) - Provision of equal pay for equal work for men and women.

अनुच्छेद—40 ग्राम पंचायतों का गठन Article-40 - Formation of Gram Panchayats

<u>अनुच्छेद—41</u> सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें।

Article-41 - All citizens can get employment and education according to their ability.

अनुच्छेद -42 - कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं।
Article-42 - Just and humane conditions of work.

स्त्रियों को प्रसूति सहायता। Maternity help to women. अनुच्छेद—43 राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजूदरी मिल सके। Article-43 - It is the duty of the state to ensure that all laborers engaged in agriculture and industry get fair wages for living.

<mark>अनुच्छेद— 43(क)</mark> — कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबन्धन में भागीदार बनाया जा सके।

Article- 43 (a) - Employees can be made partners in the management of industrial institutions.

अनुच्छेद —43 (ख) राज्य सहकारी समितियों का गठन। Article-43 (b) - Formation of State Cooperative Societies. अनुच्छेद –44 समान नागरिक संहिता।

Article - 44 - Uniform Civil Code.

अनुच्छेद – 45 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिये प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख—रेख और शिक्षा का अधिकार।

Article - 45 - Right to early childhood care and education for children below the age of 6 years.

अनुच्छेद –46 SC तथा ST के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान।

Article-46 - Provision for economic and educational development of SC and ST.

अनुच्छेद — 47 नशीलें पदार्थों पर प्रतिबन्ध।

Article - 47 - Prohibition on narcotic substances.

अनुच्छेद— 48 कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा।

Article- 48 -Protection of agriculture and Animals.

<u>अनुच्छेद — 48 (क)</u> पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्यजीवों की सुरक्षा।

Article - 48 (a) - Environment protection and protection of forests and wildlife.

अनुच्छेद — 49 राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा।

Article - 49 - Protection of national and historical monuments.

अनुच्छेद — 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना। Article-50 - Separation of executive and judiciary.

अनुच्छेद— 51 अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से सम्बन्धित निदेशक तत्व।

Article-51 - Directive principles related to international peace and security and India's foreign policy.

मौलिक कर्त्तव्य /Fundamental duty

भाग - 4 A / Part - 4 A

अनुच्छेद 51 A / Article 51 A

प्रेरित — रूस / Adopted - Russia

सिफारिश — सरदार स्वर्ण सिंह समिति — 1976


Recommendation - Sardar Swaran Singh Committee

- 📦 8 मौलिक कर्त्तव्य की सिफारिश / 8 Fundamental Duties recommended
- 📦 10 मौलिक कर्त्तव्य जोड़े गये / 10 fundamental duties added
- 📦 वर्तमान में 11 मौलिक कर्त्तव्य / Presently 11 Fundamental Duties

11वां मौलिक कर्त्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। The 11th fundamental duty was added by the 86th constitutional amendment in 2002.

6—14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार Right to primary education for children of 6-14 years मौलिक कर्त्तव्य — (Art-51A(a)) राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीयगान का सम्मान, संविधान का पालन करना चाहिए।

Fundamental Duties - 1. Respect for the National Flag and National Anthem, the constitution should be followed.



Art 51A (b) स्वतन्त्रता सैनानियों एवं उनके उपदेशों का सम्मान Respect for freedom fighters and their sermons

Art 51A (c) भारत को एकता , अखण्डता और सम्प्रभुत्ता की रक्षा

Protection of unity, integrity and sovereignty of India

Art 51A (d) देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए।

Should be ready to protect the country.

Art 51A (e) भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलओं का आदर करना।

To encourage the feeling of nationalism and Fraternity of India and to respect women.

Art 51A (f) . देश की संस्कृति को बढ़ाना | Developed the culture of the country Art 51A (g) जैव विविधता, पर्यावरण, झीले, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना | Conservation of biodiversity, environment, lakes, oceans, animals etc.

Art 51A (h) वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का विकास करना।
To develop scientific temper and desire to learn.

Art 51A (i) सामाजिक / राष्ट्र सम्पत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।
Protecting social/national property and staying away from violence.

Art 51A (j) जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना। Keep trying to move forward in every field of life.



🖖 Art. 51 A (k) - माता-पिता या अभिभावक का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य, छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के मामलों में। Duty of parents or guardians to provide opportunities for education to their child, in cases between the age of six to fourteen years.